क्रम-संख्या—292

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1987

चैत्र 13, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग अनुभाग—6

संख्या 1231-एस0 सी0/18-6-87-796-77

लखनऊ, 3 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं0 प0 नि0—20

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के उपदान का प्रबन्ध, नियन्त्रण और उसके भुगतान करने से संबंधित निम्नलिखित विनियमावली जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन संघटित प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है जो गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड कर्मचारी उपदान विनियमावली, 1987

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड कर्मचारी उपदान विनियमावली, 1987 कही जायेगी।

(ख) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

क्षेत्र

2—(1) यह विनियमावली फेडरेशन के कर्मचारियों पर चाहे वे फेडरेशन के कार्यालय में या फेडरेशन की अपनी इकाईयों में या कहीं आगे परिभाषित किसी भी कारखाने में नियुक्त हो, लागू होगी किन्तु समय-समय पर यथासंशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

(2) यदि इस विनियमावली के अन्तर्गत आने वाला कोई कर्मचारी बाद में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अन्तर्गत आ जाता है तो ऐसा कर्मचारी उस विधि के अन्तर्गत न कि इस विनियमावली के अन्तर्गत आने वाला समझा जायेगा।

परिभाषायें

3—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में:—

(1) 'शिक्षु' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षुता संविदा के अनुसरण में कारखाने/फेडरेशन में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो,

(2) 'प्राधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के अधीन इस रूप में राज्य सरकार द्वारा संघटित प्राधिकारी या प्राधिकारियों से है,

(3) 'आकस्मिक कर्मचारी' का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो दैनिक मजदूरी के आधार पर लगा हो,

(4) 'अध्यक्ष (चेयरमैन)' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फेक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष से है

(5) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फेक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा लिखित रूप में इस विनियमावली के अधीन सक्षम प्राधिकारी की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये इस रूप में प्राधिकृत व्यक्ति से है,

(6) 'प्रबन्ध कमेटी' का तात्पर्य फेडरेशन के कार्य कलाप का प्रबन्ध करने के लिये फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार गठित प्रबन्ध कमेटी से है,

(7) 'निरन्तर सेवा' का तात्पर्य फेडरेशन/कारखाने के अधीन अविच्छिन्न सेवा से है और इसके अन्तर्गत ऐसी सेवा भी है जो केवल बीमारी या प्राधिकृत छुट्टी या किसी दुर्घटना या ऐसी हड़ताल, जो अवैध न हो, या ऐसी कोई तालाबन्दी या काम बन्दी से जो कर्मचारी की ओर से किसी त्रुटि के कारण न हो बिच्छिन हो जाय,

(8) 'कर्मचारी' का तात्पर्य फेडरेशन/कारखाने के पूर्ण कालिक कर्मचारी के रूप में फेडरेशन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को छोड़कर प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी हैसियत में पूर्णकालिक रूप से नियोजित कर्मचारी भी हैं ;

(क) आकस्मिक या/और अनियमित कर्मचारी,
(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियोजित सरकारी सेवक और अन्य,
(ग) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी,
(घ) शिक्षुता और प्रशिक्षण की अवधि में क्रमशः शिशु और प्रशिक्षणार्थी,
(ङ) विशेष संविदा सेवा पर नियोजित अन्य व्यक्ति, और
(च) अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त और पुनः नियोजित व्यक्ति,

(9) 'कारखाने' का तात्पर्य' फेडरेशन के पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी के कारखाने और आसवनी इकाईयों से है,

(10) किसी कर्मचारी के संबंध में, 'परिवार' के अन्तर्गत निम्नलिखित को, समझा जायेगा :—

(एक) पुरुष कर्मचारी की स्थिति में पत्नी,
(दो) महिला कर्मचारी की स्थिति में पति,
(तीन) पुत्र जिसके अन्तर्गत सौतेले बालक, और
(चार) पुत्रियां दत्तक बालक भी है,
(पांच) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित और विधवा बहिनें (जिसके अन्तर्गत सौतेले भाई और सौतेली बहिनें भी हैं)
(छः) पिता,

(सात) माता,

(आठ) विवाहित पुत्रियां (जिसके अन्तर्गत सौतेली बहिनें भी हैं),

(नौ) पूर्व मृत पुत्रों के बालक,

(11) 'फेडरेशन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ से है,

(12) 'अनियमित कर्मचारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फेडरेशन/कारखाने के नियमित अधिष्ठान में नियोजित न हो किन्तु ऐसे कार्य के लिये नियोजित हो जो बिल्कुल अस्थायी प्रकार का जैसे विस्तार संबंधी निर्माण कार्य हो या चौबीस महीने से अनधिक अवधि के लिये किसी स्थायी कार्य में अस्थायी वृद्धि के संबंध में नियोजित हो,

(13) 'वेतन' का तात्पर्य ऐसी समस्त परिलब्धियों से है जो कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कर्त्तव्यारूढ़ रहने पर या छुट्टी पर होने पर अर्जित किया जाय और जो उसे नकद दिया जाय या देय हो किन्तु उसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, अतिकालिक मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है,

(14) 'अधिवर्षिता', का तात्पर्य कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करने से है जैसी संविदा में या सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों में ऐसी आयु के रूप में निर्धारित की जाय जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी अपने नियोजन से अलग हो जायगा, और

(15) 'प्रशिक्षार्थी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भर्ती किये जाने पर उसकी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रारम्भिक प्रशिक्षण पर रखा गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसी कोई अवधि भी है जो किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिये बढ़ायी गयी हो।

उपदान का भुगतान

4--(1) फेडरेशन/कारखाने के किसी कर्मचारी को उपदान कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा करने के पश्चात् उसके नियोजन की समाप्ति पर :--

(एक) उसकी अधिवर्षिता पर, या

(दो) उसकी सेवा निवृत्ति, या पद त्याग करने पर,

(तीन) उसकी मृत्यु होने पर या दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांग होने पर,

देय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करना वहां आवश्यक नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति मृत्यु या विकलांगता के कारण हो,

परन्तु यह और कि कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसकी देय उपदान का भुगतान उसके नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को किया जायेगा, या यदि कोई नामांकन नहीं किया गया हो तो उसके विधिक उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को किया जायेगा।

स्पष्टीकरण--इस विनियम के प्रयोजनार्थ 'विकलांगता' का तात्पर्य ऐसी विकलांगता से है जो किसी कर्मचारी को ऐसा कार्य करने से अशक्त कर दे जिसे वह दुर्घटना या बीमारी के जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी विकलांगता हुई, पूर्व करने में समर्थ था।

(2) उपर्युक्त उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुये भी,

(क) ऐसे किसी कर्मचारी के जिसकी सेवायें ऐसे किसी कार्य, जानबूझ कर लोप या उपेक्षा के लिये समाप्त कर दी गयी हो, जिससे फेडरेशन/कारखाने की सम्पत्ति को कोई क्षति या हानि हो या उसका नाश हो, उपदान का समपहरण उस सीमा तक किया जायेगा जहां तक ऐसी क्षति या हानि हुई हो,

(ख) किसी कर्मचारी को देय उपदान का पूर्ण समपहरण कर लिया जायेगा यदि :--

(एक) ऐसे कर्मचारी की सेवायें उसके बलवात्मक या विच्छृंखल आचरण या उसकी ओर से हिंसा के किसी अन्य कार्य के कारण समाप्त कर दी गयी हो, या

(दो) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवायें ऐसे किसी कार्य के लिये जिससे नैतिक अद्यमता को कोई अपराध बनता हो, समाप्त कर दी गयी हो परन्तु ऐसा अपराध उसके नियोजन की अवधि में उसके द्वारा किया गया हो।

उपदान की गणना करने का ढंग

5.—(1) फेडरेशन सम्बद्ध कर्मचारी को निरन्तर सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये या छः मास से अधिक उसके भाग के लिये कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर पन्द्रह दिन के वेतन की दर पर उपदान का भुगतान करेगा।

(2) किसी कर्मचारी को देय उपदान की कुल धनराशि किसी भी स्थिति में बीस मास के वेतन से अधिक नहीं होगी।

कर्मचारी की नियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में कारखाने के दायित्व का निपटारा

6.—(1) किसी कर्मचारी द्वारा फेडरेशन में या कारखानों में या दोनों में की गयी निरन्तर सेवा की सम्पूर्ण अवधि के लिये उपदान की गणना उपर्युक्त विनियम 5 (1) के आधार पर की जायेगी।

(2) कारखानों में कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण के मामले में सम्बद्ध कारखाना फेडरेशन को प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में उपदान के अंशदान का भुगतान करेगा जिसकी गणना सम्बद्ध वर्ष में उस महीने में कर्मचारियों को देय वेतन की दर के आधार पर निरन्तर सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या छः माह से अधिक सेवा के भाग के लिये पन्द्रह दिन के वेतन की दर पर की जायेगी।

(3) (क) फेडरेशन से किसी कारखाने में तैनात किये गये किसी कर्मचारी की स्थिति में, यदि सम्बद्ध कारखाने ने फेडरेशन को उपदान के अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो सम्बद्ध कारखाना फेडरेशन को कर्मचारी की निरन्तर सेवा की सम्पूर्ण अवधि के लिये जब तक वह उस कारखाने में तैनात रहा हो, उस मास में जिसमें यह विनियमावली प्रवृत्त की जाय, कर्मचारी को देय पन्द्रह दिन के वेतन की दर पर, निरन्तर सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या छः मास से अधिक सेवा के भाग के लिये अंशदान का भुगतान करेगा।

(ख) एक कारखाने से किसी दूसरे कारखाने में किसी कर्मचारी को तैनात किये जाने की स्थिति में, यदि किसी कारखाने ने अनुवर्ती कारखाने या फेडरेशन की उस कर्मचारी के सम्बन्ध में उपदान के अंशदान का पूर्व में भुगतान नहीं किया है तो वह उस कारखाने में तैनात कर्मचारी की सम्पूर्ण सेवा-अवधि के लिये, उस मास में जिसमें यह विनियमावली प्रवृत्त की जाय कर्मचारी को देय पन्द्रह दिन के वेतन की दर पर प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या छः मास से अधिक सेवा के भाग के लिये अंशदान का भुगतान करेगा जिसमें पूर्ववर्ती कारखाने में की गयी सेवा की अवधि के संबंध में जिसके लिये पूर्ववर्ती कारखाने से अंशदान प्राप्त हुआ है, उपदान का अंशदान सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) उपर्युक्त उप विनियम (क) या (ख) के अधीन भुगतान फेडरेशन को इस विनियमावली के प्रवर्तन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जायगा। ऐसा न करने पर सम्बद्ध कारखाना उपदान के अंशदान के अतिरिक्त उप विनियम (4) के अनुसार ब्याज का भी भुगतान करेगा।

(4) (क) यदि कोई कारखाना उपर्युक्त विनियम 6 में उल्लिखित नियम समय के भीतर फेडरेशन को उपदान के अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो वह व्यतिक्रम के प्रत्येक सम्पूरित मास या उसके भाग के लिये 2 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

(ख) किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस विनियमावली के अधीन किसी कारखाने द्वारा देय समस्त धनराशियों को यदि मांग किये जाने पर उनका भुगतान किया गया हो, फेडरेशन द्वारा कारखाने के किसी धन से जो फेडरेशन के पास हो वसूल किया जा सकता है।

नामांकन

7.—इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, या कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, इसमें जो भी पश्चात् वर्ती हो, कर्मचारी नामांकन करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के पश्चात् किसी उपदान को, जो उसे स्वीकृत किया जाय, पाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यदि नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई परिवार हो तो नामांकन उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जायेगा।

कोई नामांकन या उसमें परिवर्तन किसी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा के दौरान या सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी यदि वह ऐसा चाहे, सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन से किया जायेगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त उपविनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो वह नामांकन में प्रत्येक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को देय अंशराशि को ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उपदान की सम्पूर्ण धनराशि उसके अन्तर्गत आ जाये।

(3) कर्मचारी नामांकन में यह व्यवस्था कर सकता है कि—

(एक) ऐसे किसी विनिर्दिष्ट नाम निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में जिसकी मृत्यु कर्मचारी के पूर्व हो जाय, उस नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को मिल जायेगा जिसे (जिन्हें) नामांकन में विनिर्दिष्ट किया जाय:

परन्तु यदि नामांकन करते समय कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति नहीं होगा।

(दो) नामांकन में विनिर्दिष्ट आकस्मिकता के यदि कोई हो, होने की दशा में, नामांकन अविधि मान्य हो जायेगा।

(4) ऐसे कर्मचारी द्वारा जिसके नामांकन करते समय कोई परिवार न हो, किया गया नामांकन या ऐसे कर्मचारी द्वारा जिसके परिवार में नामांकन करने के दिनांक को केवल एक की सदस्य हों, उप विनियम (3) के खण्ड (एक) के अधीन नामांकन में की गयी व्यवस्था, यथा-स्थिति, कर्मचारी का बाद में परिवार हो जाने पर या परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामांकन करेगा।

(5) (एक) प्रत्येक नामांकन प्रपत्र (क) से (ग) तक के किसी भी एक प्रपत्र में होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार समुचित हो।

(दो) कर्मचारी किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को लिखित नोटिस देकर अपने द्वारा पहले से किये गये किसी नामांकन को रद्द कर सकता है।

परन्तु कर्मचारी ऐसी नोटिस के साथ इस विनियमावली के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।

(6) ऐसे किसी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को जिसके संबंध में उपविनियम (3) के खण्ड (एक) के अधीन नामांकन में उसके अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित होने के संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है मृत्यु होने पर या ऐसी कोई घटना होने पर जिसके कारण उपविनियम (3) के खंड (दो) या उपविनियम (4) के अनुसरण में नामांकन अविधिमान्य हो जाय, कर्मचारी तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को नामांकन औपचारिक रूप से रद्द करने की लिखित नोटिस और इस विनियमावली के अनुसार किया गया नया नामांकन भेजेगा।

(7) प्रत्येक नामांकन या उसमें कोई परिवर्तन कर्मचारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजा जायेगा जो उसकी प्राप्ति के दिनांक को प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(8) कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और रद्द करने के लिये दी गयी प्रत्येक नोटिस उस सीमा तक, जहां तक वह विधिमान्य हो, उस दिनांक को प्रभावी होगी जब वह सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो।

8--उपदान की स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र यथास्थिति, प्रपत्र "घ" या "ङ" में उपदान देय हो जाने के पश्चात् तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उपदान की स्वीकृति के लिये आवेदन

आज्ञा से,
सन्त कुमार त्रिपाठी,
सचिव।

प्रपत्र 'क'
नामांकन
[विनियम 7 का उपविनियम (5) (एक) देखिये]

सेवा में,

(यहां पर फेडरेशन का नाम या विवरण और उसका पूरा पता लिखिये)

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (यहां पर पूरा नाम लिखिये) जिसका ब्योरा नीचे विवरण-पत्र में दिया गया है, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को मेरी मृत्यु हो जाने के पश्चात् देय उपदान और उस धनराशि के देय होने के पूर्व या उसके देय होने पर उसका भुगतान किये जाने के पूर्व, मेरी मृत्यु होने की दशा में, मेरे खाता में जमा उपदान को भी पाने के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं और निर्देश देता हूं कि उपदान की उक्त धनराशि का भुगतान नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम के सामने इंगित अनुपात में किया जायगा।

2--मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उल्लिखित व्यक्ति विनियम 2 (10) के अर्थान्तर्गत मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं।

3--मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि विनियम 2 (10) के अर्न्तगत मेरा कोई परिवार नहीं है।

4--(क) मेरे पिता/माता/माता--पिता मुझ पर आश्रित हैं/नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता--पिता मेरे पति पर आश्रित हैं/नहीं हैं।

5--मैंने सक्षम प्राधिकारी को दिनांक.....की नोटिस द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है।

6--इसमें किया गया नामांकन मेरे पूववर्ती नामांकन को अविधि मान्य करता है।

नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों)

नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम और पूरा पता	कर्मचारी से सम्बन्ध	नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति की आयु	किस अनुपात में उपदान का अंश दिया जायगा
1	2	3	4
1-- 2-- 3-- इसी प्रकार आगे भी			

विवरण-पत्र

1--कर्मचारी का पूरा नाम----------

2--लिंग----------

3--धर्म----------

4--क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है?----------

5--कारखाने/फेडरेशन का विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित है----------

6--धृत पद----------

7--नियुक्ति का दिनांक----------

8--स्थाई पता----------

ग्राम----------थाना----------परगना----------

डाकघर----------जिला----------राज्य----------

स्थान----------

दिनांक----------

कर्मचारी का हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

मेरे समक्ष नामांकन पर हस्ताक्षर किया गया/अंगूठा लगाया गया।

साक्षियों का पूरा नाम और पूरा पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1—	1—
2—	2—

स्थान----------

दिनांक----------